fogxkoykdu

यह प्रतिवेदन दो भागों एवं छः अध्यायों में तैयार किया गया है। भाग अ में पंचायती राज संस्थाओं के अध्याय 1 से अध्याय 3 तथा भाग ब में शहरी स्थानीय निकायों के अध्याय 4 से अध्याय 6 सम्मिलित हैं। अध्याय 1 में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र तथा वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन दिया गया है। अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा "पंचायती राज संस्थाओं में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग" एवं "आडिट आफ स्कीम रूल्स, 2011" पर वृहद प्रस्तर शामिल हैं। अध्याय 3 में पंचायती राज संस्थाओं की अनुपालन लेखा परीक्षा का निष्कर्ष दिया गया है। अध्याय 4 में शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन दिया गया है। अध्याय 5 में निष्पादन लेखापरीक्षा "शहरी स्थानीय निकायों में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग" शामिल है। अध्याय 6 में शहरी स्थानीय निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा का निष्कर्ष दिया गया है। प्रतिवेदन में सम्मलित लेखापरीक्षा निष्कर्ष का सार–संक्षेप नीचे दिया गया है।

v/;k; 1¼ ipk;rh jkt lLFkkvk dh dk; i.kkyh] tokcngh r= ,o foRrh; ifronu d idj.kk ij fogxkoykdu

मार्च 2013 एवं मार्च 2014 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन शासन को भेजा गया था पर राज्य विधान मण्डल के पटल पर नहीं रखा गया।

¼iLrj 1-5-2½

वर्ष 2010–15 की अवधि में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं, राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अत्यधिक अनुदान पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तिरित किया गया था। जबकि, पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व स्रजन की स्थिति में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति रही तथा 2014–15 में ₹ 191 करोड़ की अपेक्षा 2013–14 में घटकर ₹ 149 करोड़ हो गया।

¼iLrj 1-9-3½

पंचायती राज संस्थायें, भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित समस्त आठ प्रारूपों (प्रियासॉफ्ट) में लेखाओं का अनुरक्षण अक्टूबर 2015 तक नहीं कर रही थी।

¼iLrj 1-9-9½

v/;k; 2 ipk;rh jkt lLFkkvk dh fu"iknu y[kkijh{kk

2-1 ßipk;rh jkt lLFkkvk e rjgo for vk;kx d vunku d miHkkxÞ ij fu"iknu y[kkijh{kk

वर्ष 2011–15 की अवधि में राज्य में, पंचायती राज संस्थाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य निष्पादन अनुदान ₹ 3,339.42 करोड़, अनुदान प्राप्त करने हेतु पूर्व अपेक्षित शर्तों का पूर्णतः पालन किये बिना आहरित किया।

¼iLrj 2-1-6-2½

31 जुलाई 2015 तक लखनऊ के आठ अग्रणी बैंकों में 31 से 74 दिनों तक पड़ी धनराशि ₹ 45.33 करोड़ निर्गत नहीं की गयी। अग्रेतर, यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2010–15 की अवधि में अनुदान धनराशि ₹ 276.67 करोड़ निर्धारित समय सीमा के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं को निर्गत की गयी थी। परन्तु नमूना जाँच किये गये जिला पंचायतों के बैंक खाते में एक से 143 दिनों के विलम्ब से जमा की गयी।

¼iLrj 2-1-6-3 ,o 2-1-6-4½

नियमों के अधीन निर्धारित मौलिक अभिलेखों का नमूना जॉच किये गये जिला पंचायतों/ क्षेत्र पंचायतों में रख–रखाव नहीं किया गया था और ग्राम पंचायतों में तो लगभग अनुपलब्ध थे। इसलिये, नमूना जॉच किये गये पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 2010–15 की अवधि में किये गये व्यय ₹ 266.43 करोड़ की प्रमाणिकता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

¼iLrj 2-1-7½

2010–15 की अवधि में नमूना जाँच किये गये जिला पंचायतों ₹ 214.60 करोड़ का व्यय मुख्य रूप से नयी सड़क के निर्माण पर किया गया और कुल व्यय ₹ 225.07 करोड़ का मात्र 4.65 प्रतिशत ही परिसंपत्तियों की मरम्मत और रख–रखाव पर किया गया था।

¼iLrj 2-1-8 ,oa ifjf'k"V 2-1-9½

नमूना जाँच किये गये नौ जिला पंचायतों द्वारा 2010–15 की अवधि में सम्पादित 208 कार्यों को विलम्ब से सम्पादित किया गया। तथापि, ₹ 2.15 करोड़ का अर्थदण्ड कम लगाया गया।

¼iLrj 2-1-8 ,oa ifjf'k"V 2-1-11½

जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा किया गया अनुश्रवण पर्याप्त नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं की नियोजन एवं विकास समितियाँ कार्यशील नहीं थी।

¼iLrj 2-1-9-2 ls 2-1-9-4½

2-2 ßvkfMV vkQ Ldhe :Yl] 2011Þ ij ogn iLrj

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रकोष्ठ द्वारा 2013–15 की अवधि में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को ₹ 44.03 करोड़ कम अवमुक्त किया गया। जबकि मनरेग्स प्रकोष्ठ के द्वारा प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत पाँच प्रतिशत से अधिक (₹ 104.11 करोड़) व्यय किया गया था।

¼iLrj 2-2-7-2½

समाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत की, प्रति छः माह में, कम से कम एक सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु एक वार्षिक कैलण्डर तैयार किया जाना था। तदानुसार, प्रत्येक वर्ष में प्रदेश की 52,111 ग्राम पंचायतों की 1,04,222 सामाजिक लेखापरीक्षा नियोजित की जानी थी। तथापि, 2013–14 एवं 2014–15 में क्रमशः मात्र 13,192 (13 प्रतिशत) एवं 25,748 (25 प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा नियोजित की गयी। इनमें से 11,412 (11 प्रतिशत) एवं 2013–14 में एवं 20,844 (20 प्रतिशत) 2014–15 में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी।

¼iLrj 2-2-8-1½

अड़तीस जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं 446 ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक, जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि में नियोजित किये गये थे लेकिन उस अवधि में कोई सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी, परिणामस्वरूप ₹ 3.62 करोड़ भुगतान किया गया मानदेय, अलाभकारी रहा।

¼iLrj 2-2-8-3½

तीस नमूना परीक्षित जनपदों में से 24 जनपदों में पाया गया कि 2014–15 की अवधि में 1,302 असम्प्रेक्षित ग्राम पंचायतों में 769 ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

¼iLrj 2-2-9-3½

पचास नमूना परीक्षित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की बैठक में ग्रामीण सहभागिता ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या का 0.07 से 3.76 प्रतिशत के मध्य थी।

¼iLrj 2-2-9-5½

तीस नमूना परीक्षित जनपदों में से 16 जनपदों में 2013–15 की अवधि में ₹ 164.22 लाख के दुर्विनियोग के 444 लम्बित प्रकरणों के सापेक्ष मात्र ₹ 0.13 लाख (0.08 प्रतिशत) की वसूली की गयी थी।

¼iLrj 2-2-12½

v/;k; 3 ipk;rh jkt lLFkkvk dh vuikyu y[kkijh{kk

खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, नौगढ़, चन्दौली द्वारा योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप ₹ 22 लाख के ब्याज की हानि तथा प्रभावी अनुसरण के अभाव में बचत बैंक खाते में अवशेषों पर ब्याज को अनुमन्य न करा पाना।

¼iLrj 3-1)

जिलाधिकारी द्वारा दुकानों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार किराए का निर्धारण न किये जाने से जिला पंचायत, सीतापुर को ₹ 30.61 लाख की राजस्व हानि।

¼iLrj 3-2½

शासकीय आदेशों की अवहेलना कर उच्च दर पर निविदा स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप ₹ 19.16 लाख का अधिक व्यय।

¼iLrj 3-3½

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत नियमावली, 1965 के प्रावधानों का जिला पंचायत, ललितपुर द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 3.77 करोड़ की सम्पत्ति को अतिक्रमण से मुक्त न कराया जाना।

¼iLrj 3-6½

v/;k; 4 'kgjh LFkkuh; fudk;k dh dk;! i.kkyh] tokcnsgh r= ,o foRrh; ifronu d ipdj.kk ij fogxkoyksdu

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों को राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखना तथा इस पर चर्चा करने के लिये एक समिति का गठन किये जाने का अधिदेश था। जबकि मार्च 2014 के अन्त तक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन जो शासन को प्रेषित किया गया था, राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर नहीं रखा गया था।

¼iLrj 4-5-2½

शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा राजस्व की प्राप्ति के लिये शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप शासकीय अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता रही।

¼iLrj 4-10-6½

v/;k; 5 ß'kgjh LFkkuh; fudk;k e rjgo foRr vk;kx vunkuk d miHkkxÞ ij fu"iknu y[kkijh{kk

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण किये बिना, राज्य सरकार द्वारा सामान्य निष्पादन अनुदान की धनराशि ₹ 812.83 करोड प्राप्त की गयी थी। अनुदान की धनराशि

अपने पास रोके रखने के कारण 2010–15 की अवधि में राज्य सरकार को ₹ 1.05 करोड़ ब्याज के रूप में आय हुयी, परन्तु इस विलम्ब के लिए, अर्जित ब्याज की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित नहीं की गयी।

¼iLrj 5-6-4 ,oa 5-6-5½

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2010–15 की अवधि में कार्यों के सम्पादन हेतु वार्षिक कार्ययोजना नही बनायी गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पंचायतों के लिए चारों विनिर्दिष्ट सेवाओं के सन्दर्भ में सेवा मानक अधिसूचित नहीं किये गये थे।

¼iLrj 5-7-1 ,oa 5-7-3½

गैर अनुमन्य कार्यों के सम्पादन पर 33 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 12.25 करोड़ व्यय किये गये थे।

¼iLrj 5-7-2½

नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम, अलीगढ़ एवं नगर पालिका परिषद, इटावा के अतिरिक्त अन्य सभी में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उपयुक्त व्यवस्था का अभाव था। इसी प्रकार, नमूना जाँच किए गए राज्य के 12 जनपदों में जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन भी अपर्याप्त था।

¼iLrj 5-8-1 ,oa 5-11-3-3½

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना नालों का निर्माण प्रारम्भ किए जाने के कारण अपूर्ण नालों के निर्माण पर ₹ 2.27 करोड़ का अलाभकारी व्यय किया गया।

¼iLrj 5-8-2-1] 5-9-4-1] 5-11-4-1 ,oa 5-12-4-1½

चार सेवाओं की सुपुर्दगी के सेवा मानकों में वर्गीकृत होते हुए भी लखनऊ, सीतापुर एवं इटावा जनपदों के अतिरिक्त सीवरेज सम्बन्धी कार्यों हेतु लक्ष्य निर्धारित नही किये गये थे। नगर पालिका परिषद, इटावा में सीवरेज प्रणाली का घरों से संयोजन न होने के कारण संचालित नही थी, जबकि नगर निगम, फिरोजाबाद में उत्प्रवाह संयन्त्र निर्मित न होने के कारण यह प्राणली अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी।

¼iLrj 5-9-2-1] 5-10-1 ,oa 5-11-2-1½

राज्य के साथ–साथ जनपद स्तर पर अनुश्रवण प्रणाली का अभाव था। उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा कार्यों के सम्पादन एवं अनुदानों के उपयोग की समीक्षा न करके मात्र शहरी स्थानीय निकायों के अनुदानों की अनुशंसा एवं प्रशासनिक विभाग से उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की माँग की गयी थी।

¼iLrj 5-13½

v/;k; 6 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa dh vuqikyu ijh{kk

हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम और बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी को आवश्यकता का आकलन किये बिना क्रय किया जाना तथा तीन वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़े रहने के परिणामस्वरूप ₹ 20.27 लाख का अलाभकारी व्यय।

¼iLrj 6-1½

वर्ष 2008–15 की अवधि में जलमूल्य की वसूली न किये जाने के कारण नगर पालिका परिषद, शामली को कम से कम ₹ 89.86 लाख की राजस्व हानि तथा अनियमित रूप से जल मूल्य समाप्त किये जाने से मार्च 2008 तक ₹ 46.11 लाख की हानि।

¼iLrj 6-2½

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन किये बिना संचालित वधशाला के बंद होने के फलस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ की राजस्व हानि (नवम्बर 2015)।

¼iLrj 6-3½

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ और जल निगम के बीच समन्वय में कमी के कारण जनसामान्य को तीन वर्ष से अधिक समय तक हुई समस्याओं के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण पर ₹ 27.33 लाख का निरर्थक व्यय ।

¼iLrj 6-4½

वाह्य स्रोतों के माध्यम से पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु निविदा के अन्तिमीकरण में एवं विभागीय कर्मचारियों के द्वारा लक्षित राजस्व की वसूली में असफल रहने के फलस्वरूप नगर पालिका परिषद्, बलरामपुर में वाहन स्टैंड से ₹ 32.53 लाख की कम राजस्व वसूली होना ।

¼iLrj 6-5½

नगर पंचायत, निचलौल, महराजगंज में नालों के अपूर्ण निर्माण कार्य पर ₹ 32.66 लाख का अलाभकारी व्यय, परिणामस्वरूप, जल बहाव को मुख्य नाले से जोड़े जाने सम्बन्धी उद्देश्यों की प्राप्ति न होना।

¼iLrj 6-6½

नगर निगम, मुरादाबाद में बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट उपस्थिति मशीन अक्रियाशील रहने के कारण ₹ 14.27 लाख का अलाभकारी व्यय।

¼iLrj 6-8½

₹ 47.87 लाख की लागत से नगर पंचायत, मोहाना, लखनऊ में निर्मित एवं मरम्मत की गयी दुकानों एवं हाल को आवंटित न किए जाने के फलस्वरूप निवेश का अनुत्पादक रहना।

¼iLrj 6-9½